

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012- 04 /पटना, दिनांक- 04/01/2016

राज्य सरकार द्वारा सभी कार्य विभागों में दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्यों हेतु मानक बिडिंग डोकुमेंट (SBD) की स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा तैयार की जा रही निविदा दस्तावेजों एवं इसके आधार पर आमंत्रित निविदाओं के निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि SBD के प्रावधानों विशेषकर Qualification Criteria का भिन्न-भिन्न तरह से Interpretation किया जा रहा है। फलस्वरूप निविदा दस्तावेजों में एकरूपता नहीं रहती है। इसी प्रकार विभाग में महत्वपूर्ण सिंचाई / बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु वर्तमान प्रावधानों/प्रक्रिया को और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

उक्त स्थिति के मद्देनजर सम्यक् विचारोपरान्त परामर्श प्रदान करने हेतु निदेशानुसार अभियंता प्रमुख (दक्षिण) की अध्यक्षता में हाई लेबल तकनीकी टीम का निम्नवत गठन किया जाता है:-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. अभियंता प्रमुख (दक्षिण) , जल संसाधन विभाग, बिहार-  | अध्यक्ष |
| 2. अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार-  | सदस्य   |
| 3. मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार-                                    | सदस्य   |
| 4. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, बिहार-                                | सदस्य   |
| 5. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल -2,<br>जल संसाधन विभाग, बिहार -                      | सदस्य   |
| 6. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3,<br>जल संसाधन विभाग, बिहार -                       | सदस्य   |
| 7. कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं-4<br>जल संसाधन विभाग, बिहार - | सदस्य   |
| 8. कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं-6,<br>जल संसाधन विभाग, बिहार -               | सदस्य   |


तकनीकी टीम का टी0ओ0आर0

1. योजनाओं को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु बाधक कारकों को दूर करने हेतु वर्तमान प्रक्रिया में सरलीकरण।
2. SBD के प्रावधानों का समुचित व्याख्या कर निविदा दस्तावेजों को तैयार करने में एकरूपता तथा पारदर्शिता के साथ निविदा निस्तार में प्रक्रियात्मक विलम्ब को दूर करना।
3. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अन्यान्य बिंदु ।

तकनीकी टीम का कार्यकाल

तकनीकी टीम एक सप्ताह के अंदर वांछित प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

इस संबंध में पूर्व से निर्गत विभागीय आदेश संख्या 1468 दिनांक 03.11.2015 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

  
(विपिन बिहारी मिश्र)  
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)